

वित्त मंत्रालय
संख्या 34 (विनियोग)
ब्याज संदाय

क. वसूलियों तथा राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	...	190807.47	190807.47	...	192694.39	192694.39	...	225510.86	225510.86	
	पूँजी	
	जोड़	...	190807.47	190807.47	...	192694.39	192694.39	...	225510.86	225510.86	
1.	ऋण कम करने के लिए प्रीमियम का समय पूर्व भुगतान	2048	...	2400.00	2400.00	...	1250.00	1250.00	...	2400.00	2400.00
	ब्याज अदायगियाँ										
2.	आंतरिक ऋण पर ब्याज										
2.01	बाजार उधार	2049	...	103136.53	103136.53	...	108349.94	108349.94	...	140697.48	140697.48
	घटाइए-उपाजित ब्याज	0049	...	-4000.00	-4000.00	...	-8528.73	-8528.73	...	-3000.00	-3000.00
	निवल		...	99136.53	99136.53	...	99821.21	99821.21	...	137697.48	137697.48
2.02	क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	2049	...	7908.81	7908.81	...	7749.87	7749.87	...	4897.94	4897.94
2.03	राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टा	2049	...	4584.00	4584.00	...	7030.00	7030.00	...	7000.00	7000.00
2.04	364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टा	2049	...	2458.00	2458.00	...	2836.00	2836.00	...	2800.00	2800.00
2.05	182 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियाँ	2049	...	762.00	762.00	...	1379.00	1379.00	...	1400.00	1400.00
2.06	ऋण का प्रबंध	2049	...	356.64	356.64	...	370.52	370.52	...	484.92	484.92
2.07	अर्थोपाय अग्रिम	2049	...	438.00	438.00	...	298.00	298.00	...	405.00	405.00
2.08	विशेष प्रतिभूतियों के रूपांतरण में जारी विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ	2049	...	5532.87	5532.87	...	5532.87	5532.87	...	5286.07	5286.07
2.09	बाजार स्थिरीकरण योजना	2049	...	26615.69	26615.69	...	12545.72	12545.72	...	4377.39	4377.39
	घटाइए-उपाजित ब्याज	0049	...	-12657.55	-12657.55	...	-109.14	-109.14	...	-2186.54	-2186.54
	निवल		...	13958.14	13958.14	...	12436.58	12436.58	...	2190.85	2190.85
	जोड़		...	135134.99	135134.99	...	137454.05	137454.05	...	162162.26	162162.26
3.	विदेशी ऋण पर ब्याज	2049	...	4143.17	4143.17	...	4158.80	4158.80	...	4313.37	4313.37
4.	लघु बचतों, भविष्य निधियों, आदि पर ब्याज										
4.01	लघु बचत, जमाराशियों पर ब्याज प्रमाण पत्र एवं प्रचलन व्यय	2049	...	17363.79	17363.79	...	17311.09	17311.09	...	16897.15	16897.15
4.02	राज्य भविष्य निधियाँ	2049	...	5833.72	5833.72	...	6056.90	6056.90	...	6653.85	6653.85
4.03	बीमा और पेंशन निधियाँ	2049	...	5282.61	5282.61	...	5159.93	5159.93	...	5929.50	5929.50
4.04	गैर-सरकारी भविष्य निधियों इत्यादि की विशेष जमाराशियाँ	2049	...	9803.54	9803.54	...	9803.54	9803.54	...	9677.53	9677.53
4.05	राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2049	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50
4.06	यूटीआई को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2049	...	296.25	296.25	...	296.25	296.25	...	296.25	296.25
4.07	अन्य विशेष जमाराशियाँ	2049	...	1118.60	1118.60	...	1085.15	1085.15	...	1204.87	1204.87
	जोड़		...	39701.01	39701.01	...	39715.36	39715.36	...	40659.15	40659.15
5.	प्रारक्षित निधियों पर ब्याज	2049	...	1360.91	1360.91	...	1248.80	1248.80	...	751.68	751.68
6.	अन्य देयताओं पर ब्याज										
6.01	तेल कंपनियों को जारी विशेष बांड	2049	...	5519.84	5519.84	...	5529.29	5529.29	...	10511.82	10511.82
6.02	भारतीय खाद्य निगम को जारी विशेष बांड	2049	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26	...	1319.26	1319.26
6.03	उर्वरक कंपनियों को जारी विशेष बांड	2049	...	629.72	629.72	...	609.87	609.87	...	1956.87	1956.87
6.04	एसबीआई समूह के लिए बांड	2049	834.67	834.67	...	834.67	834.67
6.05	अन्य देयताओं पर ब्याज	2049	...	598.57	598.57	...	574.29	574.29	...	601.78	601.78
	जोड़		...	8067.39	8067.39	...	8867.38	8867.38	...	15224.40	15224.40
	कुल जोड़		...	190807.47	190807.47	...	192694.39	192694.39	...	225510.86	225510.86

इस विनियोग में शामिल संपूर्ण व्यय भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3)(ग) के अंतर्गत भारत की समेकित निधि पर "भारित" के रूप में वर्गीकृत है।

2. इस विनियोग में केन्द्रीय सरकार की ऋण देयताओं, आंतरिक और बाह्य, दोनों पर ब्याज-प्रभारों के लिए प्रावधान है। इसमें भविष्य निधियों, मूल्यहास के अलावा सरकार के पास विशेष जमाराशियाँ और रेलवे जैसे वाणिज्यिक विभागों की अन्य प्रारक्षित निधियों पर देय ब्याज हेतु प्रावधान शामिल है। केन्द्रीय सरकार के ऋण तथा अन्य देयताओं के प्रबंध हेतु प्रावधान भी इस विनियोग में शामिल किए गए हैं।

3. बाजार स्थिरीकरण योजना के संबंध में दिनांक 25 मार्च, 2004 के समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुपालन में बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत

निर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों/राजकोषीय हुण्डियों पर ब्याज/बट्टा भुगतान के लिए प्रावधान अलग से दर्शाया गया है।

4. वर्ष 2009-2010 के बजट अनुमानों में हुई वृद्धि मुख्यतः बाजार ऋण पर ब्याज की अधिक आवश्यकता राजकोषीय हुण्डियों पर छूट, एसबीआई राइट्स के लिए बाण्ड, तेल विपणन कंपनियों और उर्वरक कम्पनियों को विशेष प्रतिभूतियाँ राज्य भविष्य निधियों और बीमा एवं पेंशन निधियों के कारण है।

5. सक्रिय ऋण समेकन योजना के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद के संबंध में प्रीमियम के भुगतान के लिए बजट अनुमान 2009-10 में 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।